राजस्थान विधान सभा

प्रथम बैठक, सोमवार, दिनांक २१ नवम्बर, सन् १६५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ८-३८ बजे प्रातः प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री हनवन्त सिंह ।

प्रश्न संख्या १

सांकड़ा विकास खण्ड में चलने वाले कार्य

श्री हनवन्तसिंह—क्या विकास मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सांकड़ा विकास खंड में कहां कहां और क्या क्या कार्य हो रहे हैं ?

(ख) अब तक की उनकी क्या प्रगति है ?

श्री संपतराम (उप सचिव, विकास विभाग)—(क) सांकडा विकास खण्ड के लगभग ८० गांव के क्षेत्र में राष्ट्रीय विस्तार सेवा सम्बन्धी कार्य हो रहे हैं; कहां कहां और क्या क्या कार्य हो रहे हैं इसका विस्तृत विवरण विकास खण्ड अधिकारी से मंगवाया गया है ।

(ख) मुख्य विकास कार्यों की प्रगति का व्योरा मदवार इस प्रकार है:—

(१) कृषि :

४८ मन उन्नत किस्म के बीज का वितरण हुआ, खेती सम्बन्धी कार्यों के १३ प्रदर्शन किये गये ।

४०२४ व्यक्ति इन प्रदर्शनों से लाभान्वित हुये ।

४१८ पेड़ लगाये गये ।

(२) कूजीं ग्राम

५३ पशु बधिया किये गये ।

३०० पशुओं के सामान्य रोगों की चिकित्सा हुई ।

(३) सिंचाई

१ कच्चे कुए का निर्माण किया गया ।

(४) ग्रामीण स्वास्थ्य एवम् सफाई।

८४ गांवों की सफाई की गई।

५३२२ ग्रामीणों को ग्राम सेवकों द्वारा चिकित्सा सम्बन्धी सहायता प्रदान की गई।

(५) पीने के पानी की सुविधायें :

५ कुओं का निर्माण किया गया।

२० कुओं को कीटाणुओं से मुक्त किया गया।

६८ नालियां आदि बनाई गईं।

(६) शिक्षा :

२ नये स्कूल खोले गये।

१ प्रारम्भिक शाला को माध्यमिक शाला में परिवर्तित किया गया।

१ स्कूल भवन का निर्माण हुआ।

(७) समाज शिक्षा :

६ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित हुये।

८५ प्रौढ़ शिक्षण पा रहे हैं।

२४२ सामुदायिक सभायें और मेलों का आयोजन किया गया।

१६१०६ व्यक्तियों ने इनमें भाग लिया।

७३ विकास मण्डलों का स्थापन किया गया।

८ ग्रामीण पुस्तकालय खोले गये हैं।

३२ युवक कृषक क्लब चलाये गये।

२ शिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया।

(८) यातायात

४ फर्लांग कच्ची सड़क का निर्माण किया गया।

(९) सहकारिता

२५ सहकारी समितियां स्थापित की गईं जिनसे १३४१८ रु० कर्ज वितरित किया गया।

(१०) जन सहयोग।

५०६१३ रु० की लागत का श्रमदान जनता द्वारा किया गया।

८१० रु० रोकड का जन सहयोग प्राप्त हुआ।

श्री जवानसिंह—४८ मन के लिए जो कहा गया है, क्या यह विकास खंड अधिकारी ने बंटवाये या कृषि विभाग ने बंटवाये ?

श्री संपतराम—बीज कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा ही बांटा जाता है।

Page No.3

श्री जवानसिंह—क्या यह विकास खंड अधिकारी ने बंटवाये या कृषि विभाग ने, यह मेरा प्रश्न है। इसका जवाब नहीं मिला।

श्री संपतराम—कृषि का काम कृषि वाले ही करते है और . . .

श्री जवानसिंह—४८ मन के लिए मेरा प्रश्न है। क्यां यह विकास खंड अधिकारी द्वारा बांटे गये या कृषि विभाग अधिकारी द्वारा ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसका ज्यादा हिस्सा ऐसा था जो कृषि विभाग अधिकारी द्वारा बंटवाया गया और बीज कृषि विभाग द्वारा ही बंटवाये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २

तहसील दूनी (जि० टोंक) के तहसीलदार को सब रजिस्ट्रार की शक्ति

श्री सरदारसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कितनी तहसीलें हैं ?

(ख) उनमें से किन किन तहसीलदारों को सब रजिस्ट्रार के पॉवर्स हैं ?

(ग) क्या तहसील दूनी, जिला टोंक के तहसीलदार को भी सब रजिस्ट्रार के पॉवर्स है ?

(घ) अगर नहीं, तो क्यों ?

(ङ) अब सरकार का इसके विषय में क्या विचार है ?

श्री सम्पतराम (उप मंत्री)—(क) राजस्थान में कुल २१० तहसीलें हैं।

(ख) सब तहसीलदारों को सब रजिस्ट्रार के अधिकार प्राप्त है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सरदारसिंह—क्या दूनी के तहसीलदार को भी सब रजिस्ट्रार के पॉवर्स हैं।

श्री संपतराम—मैंने इसका पहले ही जवाब दे दिया है।

श्री सरदारसिंह—हमने तलाश किया तो मालूम हुआ कि उनको ऐसे पॉवर्स नहीं हैं।

श्री संपतराम—यह सही नहीं हैं।

श्री रामदयाल—क्या यह सही हैं कि तहसीलदार को रजिस्ट्रेशन के पॉवर्स होते हुए भी वह उनको काम में नहीं लेता ?

श्री संपतराम—ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है।

श्री सरदारसिंह—यह मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी है, मैं तहसीलदार से पूछकर आया हूँ। उनको इस प्रकार के पॉवर्स नहीं है। क्या सरकार उनसे पूछ कर इसका जवाब देगी ?

श्री संपतराम—इस प्रकार की कोई शिकायत आप लावेंगे तो इसकी जांच नियमानुसार की जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री रामदयाल—क्या यह जांच काफी नहीं है कि सदन के सदस्य कह रहे हैं और तहसीलदार से पूछ कर आये है ? क्या इस पर तहसीलदार के खिलाफ कोई एक्शन लिया जावेगा ? क्या उनका कहना सत्य नहीं है ?

श्री संपतराम—यह तो आपके सोचने की बात है कि उनका कहना सच है या मैंने जो कहा है वह सच है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सत्य है कि इस प्रश्न के पूछने के बाद यह पॉवर्स तहसीलदार को दिये गये ?

श्री संपतराम—सरकार अपना काम स्वयं करती रहती है। प्रश्न पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री चांदमल मेहता—मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। क्या ये पॉवर्स सरकार के पास यह प्रश्न पहुंचने के बाद तहसीलदार को दिये गये ?

श्री संपतराम—ऐसी बात नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह कटरू—ऐसी बात नहीं है तो असली बात क्या हैं ? असलियत बतला दीजिये।

श्री संपतराम—इसका जवाब पहले ही दे दिया गया है।

श्री रामदयाल—इस तहसील मे अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ?

श्री संपतराम—यह बिल्कुल अलग प्रश्न है अगर आप अलग से प्रश्न पूछेंगे तो अवश्य उत्तर दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३

अप्रेल १९५५ के पश्चात् बनाये गये नायब तहसीलदारों की सीनियोरिटी लिस्ट

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) १ अप्रेल, सन् १९५५ के बाद कितने कार्यवाहक तहसीलदार नायब तहसीलदार बनाये गये ?

(ख) उक्त नायब तहसीलदारों का सीनियोरिटी लिस्ट में कौनसा स्थान है ?

(ग) नायब तहसीलदार बनाने के क्या कारण है ?

श्री संपतराम (उप मंत्री)—(क) १ अप्रेल, सन् १९५५ के बाद ५ कार्यवाहक तहसीलदारों को नायब तहसीलदार बनाया गया।

(ख) ऐसे अधिकारियों के नाम व वरिष्ठता निम्न प्रकार है।

(१) श्री उमाचरण	नायब	तहसीलदार	सी ग्रूप	वरिष्ठता	क्रम	१६
(२) श्री बंशीधर	,,	,,	,,	,,	,,	१७
(३) श्री छोटीलाल	,,	,,	,,	,,	,,	१८
(४) श्री मोहनसिंह	,,	,,	,,	,,	,,	२३
(५) श्री श्रीनारायण	,,	,,	,,	,,	,,	२८

(ग) उक्त कार्यवाहक तहसीलदारों को नायब तहसीलदार बनाने के कारण यह हैं कि प्रथम चार तो इसलिए नायब तहसीलदार बनाये गये कि इनके उच्चतम वरिष्ठता वाले अधिकारी जो कि सहायक, कोर्ट ऑफ वार्ड्स एवं सहायक निष्क्रांत सम्पत्ति अधिकारी के पद पर से वापिस आये, अतः उनका तहसीलदार बनाना आवश्यक था। इस समय कोई स्थान रिक्त नहीं था अतः उक्त कार्यवाहक तहसीलदारों को नायब तहसीलदार प्रशासनिक कारणों से नियुक्त किया गया। अन्तिम अधिकारी जिसका वरिष्ठता क्रम २८ है उसको नायब तहसीलदार इसलिए बनाया गया कि उससे वरिष्ट अधिकारी नायब तहसीलदार के पद पर कार्य कर रहे थे। अतः उसकी नियुक्ति नायब तहसीलदारी पर उपयुक्त समझी गई।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन तहसीलदारों को कार्यवाहक तहसीलदारों से नायब तहसीलदार बनाया गया उनसे अधिक जूनियर व्यक्ति तहसीलदार का काम कर रहे हैं।

श्री संपतराम—ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि नायब तहसीलदार बनाते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि कौन सा व्यक्ति जूनियर है और कौनसा सीनियर है, जो तहसीलदार के पद पर काम कर रहा है ?

श्री संपतराम—ऐसी बात नहीं है। ध्यान अवश्य रखा गया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उनको नायब तहसीलदार बनाते समय उनकी सीनियोरिटी का ध्यान नहीं रखा गया ?

श्री संपतराम—कौन कौन किससे सीनियर हैं, यही एक बात ध्यान में नहीं रखी जाती है। सीनियोरिटी के अलावा उसका कार्य, उसकी कौन्फीडेन्शियल रिपोर्ट तथा योग्यता को भी ख्याल में रखा जाता है; उस पर भी निर्भर होता है।

श्री चांदमल मेहता—सीनियोरिटी में इन सारी बातों का समावेश नहीं होता है क्या ?

श्री संपतराम—यह होता है, लेकिन टेम्पोरेरी प्रोमोशन्स देते समय इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है ....

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार के ध्यान में है कि ऐसे नायब तहसीलदारों को, जो कोम्पीटेन्ट नहीं हैं कार्यवाहक बनाया गया है ?

श्री संपतराम—ऐसी बात मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस तरह की पूरी जानकारी हासिल किये बगैर ही यह उत्तर दिया गया है ?

श्री संपतराम—आप सप्लीमेंटरी प्रश्न कर रहे हैं, उनका जवाब दे रहा हूं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ईश्वरीसिंह कोम्पीटेंट नहीं है उसको चान्स दिया गया....

श्री संपतराम—ये व्यक्ति सेटलमेंट में हैं। यह अलग बात है। रेवेन्यू बोर्ड को ऐसा अधिकार हैं लेकिन सरकार के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ।

श्री किशनलाल शाह—जब सरकार के पास सब आंकडे हैं, तो इसकी जानकारी नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री संपतराम—यह सेटलमेंट के नायब तहसीलदार का मामला है। यह मामला सरकार के विचाराधीन है। अब तक कोई निश्चित निर्णय नहीं किया गया है।

श्री चांदमल मेहता—उनको इस प्रकार का मौका देने का क्या कारण है ?

श्री संपतराम—वे सेटलमेंट में बहुत दिनों से काम करते थे इसलिए अचानक जगह खाली होते ही ऐसे कामों के अनुभव के आधार पर अस्थायी मौका दिया गया है।

श्री चांदमल मेहता—कार्यवाहक के साथ साथ उनकी वेतन वृद्धि भी होती है, क्योंकि यह उनका अधिकार और हक होता है, इसलिए ऐसा करना जरूरी है।

श्री संपतराम—यह तो टेम्परेरी एरेंजमेन्ट था। सीनियोरिटी, योग्यता आदि देखते हुए उनके अनुसार उनको अवसर दिया गया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इसकी जांच करने के लिये तैयार है कि जिन लोगों को नायब तहसीलदार बनाया गया उनसे बहुत से जूनियर व्यक्तियों को तहसीलदार बनाया गया।

श्री संपतराम—अगर आप ऐसी कोई बात बतावेंगे तो उसकी जांच की जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इस प्रश्न पर ध्यान देगी कि जिनके हक हैं उनको हक नहीं मिले हैं, उनको अपने हक दिलवाएगी ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, प्रश्न संख्या ४.

प्रश्न संख्या ४

महाराजा किशनगढ़ मिल्स को पुनः चलाने सम्बन्धी शासकीय कार्यवाही

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) महाराजा किशनगढ़ मिल्स लिमिटेड कब बन्द हुई ?

(ख) उक्त मिल्स के बन्द होने से कितने मजदूरों को बेकार होना पड़ा है व उन्हें कितने समय का वेतन अभी तक मिल्स द्वारा नहीं दिया गया है ?

(ग) उक्त मिल्स को चलाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(घ) उक्त मिल्स के पिछले ५ वर्षों में एक्साइज ड्यूटी के रूप में सरकार को कितनी कितनी आमदनी हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास (उद्योग मन्त्री की ओर से)—(क) ता० २६–५–५५ को मिल का एक विभाग बन्द हुआ और ता० १०–६–५५ को पूरी मिल बंद हुई।

(ख) मिल जब बन्द हुई तब करीब १,२०० कर्मचारी काम करते थे।

(ग) यहां से अधिकारी भेज कर मशीनों की जांच कराई गई है और मिल्स को सरकार द्वारा चलाने की कार्यवाही विचाराधीन है ।

(घ) ५२,००० रु० ।

(ङ) केन्द्रीय सरकार को निम्नांकित रकमें प्राप्त हुईं :

१९५०—५१	१,२३,९०५-३-०
१९५१—५२	१,५७,७९२-९-०
१९५२—५३	१,०६,७८८-७-०
१९५३—५४	१,६०,०७६-४-०
१९५४—५५	३,५०,७४९-६-०
१–४–५५ से	
३१–८–५५ तक	१,०३,००९-४-६

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरकार इस मिल को चालू करने के सम्बन्ध में किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंची है ?

श्री रामकिशोर व्यास—हां, यह सही है ।

श्री चांदमल मेहता—इस अन्तिम निर्णय पर अब तक नहीं पहुंचने के क्या कारण हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसको कई तरह से गवर्नमेन्ट सोच रही है । इसको कोई पार्टी विशेष यदि लेने को तैयार हो तो उसको लीज़ पर दिया जाय अथवा गवर्नमेन्ट चलावे उसको एग्ज़ामिन किया जाय ।

श्री चांदमल मेहता—पिछले दो महीने में इसको चलाने के लिए आश्वासन दिया गया था तो क्या उस मिल को चलाने में सरकार समर्थ नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसमें काफी फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स है और लीगल इम्प्लीकेशन्स भी है ।

श्री चांदमल मेहता—पिछले अधिवेशन में जो समय का आश्वासन दिया गया था तो क्या जांच करके या जो कुछ भी कारण थे उनकी जांच के बाद दो महीने के अन्दर इसको तय कर देने का आश्वासन नहीं दिया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास—संभव है, दिया गया हो।

श्री चांदमल मेहता—फिर नये क्या कारण हुए कि जिनके कारण यह मिल चालू नहीं हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास—रुपये का सबसे बड़ा कारण है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस मिल के टेक ओवर के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास—इस प्रश्न को एग्ज़ामिन किया जा रहा है।

श्री चांदमल मेहता—पिछले अधिवेशन में यह कहा गया था कि एग्ज़ामिन किया जा चुका है और टेकओवर करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास—जैसा कि कहा गया था कि मशीनों वगैरह के देखने के बारे में क्या फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स हो सकते हैं, क्या २ लोस हो सकते हैं; इन सब की जांच की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—इन सारी चीजों की जांच तो कभी की की जा चुकी थी।

श्री रामकिशोर व्यास—अब भी एग्ज़ामिन कर रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—यह एग्ज़ामिन करना कितने समय तक चलता रहेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास—जब तक एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाय।

श्री चांदमल मेहता—एक्सपर्ट ओपिनियन तो तीन महीने पहले ही सरकार के पास पहुँच गई थी।

श्री रामकिशोर व्यास—अभी फाइनेन्शियल एक्सपर्ट की ओपीनियन आना बाकी है।

श्री चांदमल मेहता—फाइनेन्शियल एक्सपर्ट कब भेजे गये ?

श्री रामकिशोर व्यास—डेट के लिए अलग पूछेंगे तो बता सकता हूँ। इससे इस प्रश्न का ताल्लुक नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार निश्चित अवधि फिक्स कर सकती है कि जिसके अन्दर यह मिल चालू हो जायगी ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसमें कोई समय निश्चित नहीं किया जा सकता है।

Page No.10

श्री चांदमल मेहता—मजदूरों को वेजेज़ नहीं दिलाने के क्या कारण हैं ?

(घंटी)

सप्लीमेन्टरी जो मैंने पूछा है वह इससे ताल्लुक रखता है ।

(विराम)

जिन मजदूरों का रुपया बाकी है उन्हें नहीं दिलाये जाने का क्या कारण है ?

(चुप्पी के अनन्तर)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या ५

इस वर्ष नई छपाई की मशीनों की खरीद व नये स्टाफ की नियुक्ति

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री, मुद्रणालय व स्टेशनरी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में गत वर्ष कितनी नई छपाई की मशीनें खरीदी गईं व वे किस किस प्रेस में भेजी गई हैं तथा उनका प्रतिदिन का कितना प्रोडक्शन है ?

(ख) उक्त मशीनें खरीदने के बाद कितना नया स्टाफ बढ़ाया गया व उनकी स्वीकृति कब दी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त (स्वायत्त शासन मंत्री)— (क) छपाई की कोई मशीन नहीं खरीदी गई ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि छपाई की मशीनों के लिए रुपया निश्चित किया गया था और वह लेप्स हो गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त—यह आपका अगला सवाल आ रहा है ।

श्री चांदमल मेहता—अगला सवाल तो सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड से सम्बन्ध रखता है और यह बजट से ताल्लुक रखता है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त—ये दोनों ही बातें................

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि मौजूदा छपाई की मशीनें कार्य चलाने के लिए पर्याप्त हैं ?

श्री अध्यक्ष—We can take Question No. 5 and 8 together ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त—Yes.

श्री अध्यक्ष—No. s.

प्रश्न संख्या ८

राजकीय मुद्रणालय में छपाई की नई मशीनें खरीदने हेतु गत वर्ष की अनुपूरक माँगे

श्री चांदमल मेहता—क्या मुद्रणालय तथा स्टेशनरी विभाग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गवर्नमेन्ट प्रेस, जयपुर में छपाई की नई मशीनें खरीदने के लिये गतवर्ष सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड में जो रुपये स्वीकृत किये गये थे उस रकम में कौन कौन सी मशीनें कितने कितने रुपयों में खरीदी गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त(स्वायत्त शासन मंत्री)—सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट के अन्तर्गत २,५०,००० रुपये की स्वीकृति हुई, मगर कोई खरीद न हो सकी।

श्री चांदमल मेहता—खरीद नहीं होने के क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त—इसके लिए कमेटी बनी हुई है और टेन्डर कॉल किये गये थे लेकिन जिन जिन कम्पनीज़ ने टेन्डर दिये थे उनकी सप्लाई का टाइम ज्यादा था इसलिए।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि टेन्डर मांगने में काफी देर हो गई थी इसलिए वक्त पर मशीनें खरीदी नहीं गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त—टेन्डर वक्त पर मांग लिये गये थे। डिलीवरी का जो पीरियड दिया था वह एक साल से ज्यादा था।

श्री चांदमल मेहता—कब कब टेन्डर मांगे गये थे और कौन कौन सी कम्पनीज़ थीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त—यह डिटेल्ड सवाल है और इसको अलग करेंगे तो बता दूंगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस वक्त भी कोई छपाई की मशीन नहीं खरीदी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त—२॥ लाख में से १॥ लाख की खरीद की जा रही है, ऑर्डर्स प्लेस कर दिये गये हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि छपाई की मशीनें अपर्याप्त होते हुए भी और मशीनें खरीदने में राजस्थान सरकार की शिथिलता रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त—मैंने निवेदन किया था कि टेन्डर्स कॉल किये गये थे । एक कमेटी पांच सदस्यों की बनी हुई है । इस साल डेढ़ लाख की खरीद की गई ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि एक लाख का बकाया सामान इस साल में खरीद होने की उम्मीद नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्त—उम्मीद है, खरीद हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ६

राजस्थान में तहसीलवाइज भू-वितरण समिति द्वारा कार्य-विशेषतया दूनी एवं उनियारा में

श्री सरदारसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या राजस्थान में जिला वाइज़ एवं तहसील वाइज कोई लेंड डिस्ट्रीब्युशन कमेटी है

(ख) अगर हां, तो अब तक कितने तहसीलदारों ने कितनी जमीन अब तक कितनी कितनी अपनी तहसीलों में वितरित की ?

(ग) तहसील दूनी और उनियारा, जिला टोंक में इस कमेटी के कौन कौन मेम्बर हैं ?

श्री संपतराम (उपमंत्री)—(क) भूमि वितरण के लिये तहसीलवार कमेटियां बनी हुई हैं ।

(ख) समय के अभाव से जो जमीन अब तक सब तहसीलों में वितरित हुई है उसकी सूची उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

श्री चांदमल मेहता—आवाज नहीं आ रही है ।

श्री संपतराम—तहसील दूनी व उनियारा जिला टोंक की तहसील कमेटियों के मेम्बरों के नाम की जानकारी की जा रही है ।

श्री सरदारसिंह—मैंने सवाल किया था तब जानकारी की जा रही है ।

श्री सम्पतराम—जानकारी तो पहले ही से की जा रही थी, लेकिन अब प्रश्न करने के पश्चात् और भी अधिक जानकारी तथा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जयपुर जिले में इस तरह की कमेटीं नहीं बनी हुई है ?

श्री सम्पतराम—यह एक अलग सवाल है।

श्री चांदमल मेहता—यह कहा गया था कि सब जगह बनी हुई है, तो फिर मैं जयपुर जिले के लिए पूछ रहा हूं कि आप कोई स्थान बता सकते हैं कि जहां इस जिले में कमेटी बनी हुई है ?

श्री सम्पतराम—कमेटी सब जगह बनी हुई है।

श्री सरदारसिंह—तहसील दूनी में जो जमीनों का वितरण किया तो क्या वह इल्लीगल नहीं है ?

श्री सम्पतराम—कई जमीनों का अलॉटमेंट हुआ है। उसको देखा जायगा कि जमीन का अलॉटमेंट तथा वितरण नियमानुसार हुआ है अथवा नहीं।

श्री किशनलाल शाह—नावां तहसील में वैसी कमेटी बनी हुई है क्या ?

श्री सम्पतराम—यह अलग सवाल है। मैंने पहले ही कहा था कि सब जगह बनी हुई है।

श्री चांदमल मेहता—यह विरोधाभास कैसे ? एक जगह है और एक जगह नहीं है।

श्री सम्पतराम—विरोधाभास आपके समझने में है। समस्त राजस्थान में कमेटियों का निर्णय हो चुका है। अगर किसी जगह नहीं हुआ है तो वह एक्सेप्शन की बात है।

श्री चांदमल मेहता—क्या कोई उसूल सरकार द्वारा तय कर दिया गया था कि इस आधार पर ये कमेटियां बनेंगी ?

श्री सम्पतराम—हां, निश्चित तौर पर।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो आधार तय किया गया था उस आधार पर कमेटी बनाने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है ?

श्री सम्पतराम—ऐसी बात नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—जहां जहां ऐसा कार्य हो चुका है तो जयपुर जिले से किस किस जगह ऐसी कमेटियां बन चुकी हैं।

श्री सम्पतराम—यह अलग सवाल है।

श्री चांदमल मेहता—अलग नहीं है। अध्यक्ष महोदय, में यह निवेदन करूंगा कि इस सवाल में यह पूछा गया है कि जिलेवार कहां कहां कमेटियां बनाई गई है और यह सवाल इसमें आजाता है।

श्री सम्पतराम—मेरे जवाब को ठीक तरह से नहीं सुना गया है। जिलेवार कोई कमेटी नहीं बनाई गई है बल्कि तहसीलवाइज़ कमेटी बनी है। उसके मुताबिक उसका निर्माण होना चाहिए। अगर कहीं नहीं हो पाया है तो ऐसे विकल्प हो सकते हैं।

श्री चांदमल मेहता—तहसीलवाइज़ कमेटियां बनी हुई हैं तो वे जयपुर जिले में कहां कहां है ?

श्री सम्पतराम—यह डिटेल्स का सवाल है। हमने व्यवस्था की है कि तहसीलवाइज़ कमेटियां बनें।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह सही है कि तहसीलदार दूनीं ने ऐसी कमेटी बनाई जिसने नाजायज तौर पर सैंकड़ों बीघा जमीन का वितरण कर दिया ?

श्री सम्पतराम—जायज़ और नाजायज़ का सवाल तो जब सरकार के सामने आयगा उस समय देखा जायगा।

श्री रामदयाल उपाध्याय—तहसीलदार कितनी जमीन दे सकता है ?

श्री सम्पतराम—इसके लिए अलग रूल्स हैं, रूल्स देख लीजियेगा।

(घंटी)

श्री रामदयाल उपाध्याय—तहसीलदार ने अपने अधिकार से ज्यादा जमीन जिनको दिलाई है बिना कमेटी की इजाजत से, तो क्या वह वापिस ले लीं जायेगी ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७

जि० जैसलमेर व तहसील फलौदी में दलितवर्ग हेतु किये गये कल्याणकारी कार्य

श्री हनवन्तसिंह—क्या दलित वर्ग कल्याण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

जिला जैसलमेर व तहसील फलौदी में दलित वर्ग के लिये कौन कौन से कल्याणकारी कार्य अब तक किये गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—जिला जैसलमेर व तहसील फलोदी में हरिजनों के कल्याणार्थ छात्रों को छात्रवृतियां दी गई हैं।

प्रश्न संख्या ९

अति वृष्टि से वर्तमान वर्ष में हानि ग्रस्त विभिन्न तहसीलें एवं वहां रियायत

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) चालू वर्ष के अतिवृष्टि से किन किन तहसीलों में फसलों को नुकसान पहुँचा है ?

(ख) नुकसानग्रस्त इलाकों को राज्य सरकार द्वारा क्या रियायतें दी गई हैं ?

श्री सम्पतराम (उपमंत्री)—(क) चालू वर्ष में अतिवृष्टि से जिन जिन तहसीलों में फसलों में नुकसान हुआ है उसकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो सकी है। जिलाधीशों ने लिखा है कि गश्त गिर्दावरी पूर्ण होने पर इस बारे में गांववार और तहसीलवार विस्तृत विवरण भेज दिया जावेगा ...

श्री चान्दमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिसकी जानकारी बिना प्रश्न पूछे ही सरकार के पास होनी चाहिये। लेकिन जब कि इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया गया है तो सरकार को इस सम्बन्ध में पूरी तैयारी होनी चाहिये। प्रश्न पूछने का हर एक सदस्य को अधिकार है, लेकिन जो टालने का जवाब दिया जाता है, वह क्या उचित है ? इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष आप निर्णय दें।

श्री सम्पतराम—यह डेफीनिट है कि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको सरकार पहले से ही मानती है, लेकिन राजस्थान के क्षेत्रफल और विस्तार को देखते हुए हरेक गांव और तहसील की रिपोर्ट मुकम्मिल रूप से इस वक्त नहीं आ सकी है। इसके लिये समय चाहिये।

श्री अध्यक्ष—The Government ought to have sought for time, rather than telling such things.

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

कब तक इस बारे में रिपोर्ट आ जायगी ? अभी तो सैशन महीने भर चलने वाला है, जब रिपोर्ट आ जाती तभी आप जवाब दे देते। अब आप बताइये कब तक रिपोर्ट आ जायगी ?

श्री सम्पतराम—जितनी जल्दी आयगी, जवाब दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—आप डेफीनिट बताइये कब तक आ जायगी ? I want a date.

श्री सम्पतराम—एक महीने में आजायगी।

(विरोधी पक्ष द्वारा हंसी)

श्री चांदमल मेहता—अभी मुझे सप्लीमेंन्टरी प्रश्न करने हैं माननीय अध्यक्ष।

श्री रुम्पतराम—अभीतक मैं पूरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया हूँ। मेरे प्रश्न का पहले जवाब सुन लीजिये।

(ख) दरों और लगान में रियायतें देने का प्रश्न नुकसान की जानकारी प्राप्त होने के बाद तय किया जावेगा। मकानात व अन्य नुकसान के सम्बन्ध में करीब २५,००० रूपये की रकम अलग अलग जिलों के लिये खास तौर से मन्जूर कर दी गई है और बाकी जरुरत के मुताबिक जिलाधीशों ने मौके पर मदद का प्रबन्ध कर दिया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस तरह की जानकारी हासिल होने पर जिन जिन इलाकों में जबरन लगान वसूल किया जा रहा है क्या उन जगहों का लगान रोक दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—The question does not arise, when there is no full information. From today a fifteen days' notice is given. After 15 days this question will again come.

प्रश्न संख्या १०

मार्च सन् १९५५ के पश्चात् विभिन्न मंडियों में अनाज खरीद के लिए कर्मचारी वर्ग

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री रसद विभाग निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) १ मार्च, सन् १९५५ के बाद किस किस मन्डी में कितना कितना अनाज सरकार द्वारा किस किस रेट पर खरीदा गया ?

(ख) उक्त खरीद में कितना माल कमीशन बेसिस पर खरीद किया गया ?

(ग) किस किस मन्डी पर कितना कितना स्टाफ अनाज खरीद करने के लिए कितने कितने समय तक रहा और उसमें सरकार को कितना खर्चा हुआ ?

श्री राजकिशोर व्यास— (क) १ मार्च सन् १९५५ के बाद निम्न लिखित केंद्रों पर भारत सरकार के हेतु ज्वार ५॥ रु० प्रतिमण के भाव से राजस्थान सरकार द्वारा खरीद की गई।

नाम केन्द्र	वज़न ज्वार खरीद की गई
१. कोटा	७३,८०३ मण
२. बांरा	७३,९५८ मण
३. टोंक	१२,१७३ मण

[श्री रामकिशोर व्यास]

४. गंगापुर	२,४३० मण
५. रामगंज मंडी	३०३ मण ७ सेर १२ छ०
	कुल योग १,६२,६६७ मण ३७ सेर १२ छ०

(ख) उक्त खरीद में कमीशन बेसिस पर कुछ भी नहीं खरीदा गया।

(ग) उक्त केंद्रों पर ज्वार खरीदने के लिए निम्नलिखित स्टाफ लगाया गया।

	कोटा	बांरा	टोंक	रामगंज मंडी	गंगापुर	योग
परचेज़ ऑफीसर	२	४	०	१	१	८
स्टोर कीपर	१	४	१	०	१	७
असिस्टेन्ट स्टोर कीपर	३	३	२	२	०	१०
तक्पट्टी क्लर्क	६	१५	२	३	१	२७
चौकीदार	६	८	५	१	२	२२
क्लीनर	३	८	२	१	२	१६
टक्निकल असिस्टेन्ट	१	२	१	१	१	६
खजान्ची	१	०	०	१	०	२
कल्र्क	०	१	०	०	०	१

उपरोक्त स्टाफ लगभग ३ मास के लिए रखा गया। खरीददारी का कार्य समाप्त हो जाने पर स्टाफ कम करके आवश्यक स्टाफ रख लिया गया।

उपरोक्त स्टाफ पर मास अगस्त, ५५ तक लगभग २५,००० रु० खर्चा हुवा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि यदि यह अनाज कमीशन बेसिस पर खरीद किया जाता तो सस्ता पड़ता ?

श्री रामकिशोर व्यास—भारत सरकार की जो राय थी उसी के अनुसार खरीद किया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि भारत सरकार के जो आदेश निकले थे उसमें यह भी आदेश था कि नाज कमीशन बेसिस पर खरीद किया जांय ?

श्री रामकिशोर व्यास—मुझे ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—जो अनाज खरीद किया गया उसमें से कितना अनाज बेचा जा चुका है और कितना स्टॉक में है ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह अलग प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—The question hour is over.

श्री कपिलदेव अग्रवाल, सदस्य राजस्थान विधान सभा, के आकस्मिक देहावसान पर शोक उद्‌गार

श्री मोहनलाल सुखाडिया—(मुख्य मंत्री) माननीय अध्यक्ष, मैं सदन के समक्ष एक अत्यंत दुखद घटना, जो पिछली बैठक और इस बैठक के बीच हुई जो यह है कि इस सदन के माननीय सदस्य, श्री कपिलदेव अग्रवाल की दुःखद मृत्यु हो गई; उस संबन्ध में खडा हुआ हूँ। समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित इस समाचार से, मैं समझता हूँ, सब माननीय सदस्य परिचित हो चुके हैं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल इस सदन के उन प्रमुख व्यक्तियों में से थे जिन्होंने सदन की कार्यवाही के अन्दर काफी योग-दान दिया। उन्होंने किसानों के संबंध में खास तौर से जो जो कानून बने, मैं समझता हूँ, जिस प्रकार का योग दिया वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से श्री कपिलदेव की मृत्यु को मैंने अपनी आँखों से अलग अलग स्टेजेज़ पर देखा; उसका मेरे मन पर कितना प्रभाव पड़ा, उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता।

वह होनहार युवक दिवाली के दूसरे रोज अस्पताल में भर्ती किये गये, जो कि टीटानिस की बीमारी से ग्रसित थे, यह आक्रमण उन पर अचानक हुआ। जब वे अस्पताल में आये अच्छी प्रकार से बोल नहीं पा रहे थे। मैं दिवाली के रोज उनके पास जब गया तो वे अस्पताल में थे। मैं समझता हूँ कि शायद उनके यही अन्तिम शब्द थे जो मैंने उनके मुख से सुने, "मेरी संभाल ठीक से हो"। रात-दिन प्रयत्न किये गये और कुछ कुछ सुधार भी रात को मालूम हुआ। लेकिन दिवाली के दूसरे रोज सुबह चार, साढ़े चार बजे करीब एक बार उनके श्वास का रेस्पीरेशन (respiration) बंद हो गया, लेकिन फिर भी डाक्टर कामयाब हुए, इस चीज को ठीक करने में। बाद में यह सोचा गया कि इन्जेक्शन की वजह से टीटानिस के जर्म्स इकट्ठे हो गये होंगे तो उस जगह का आपरेशन किया गया और एक नाली, श्वास न रुक जाय इस ख्याल से, डाली गई; लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से चार बजे के करीब वह नाली भी नाकामयाब हुई और श्वास का रेस्पीरेशन रुक गया। श्वास की नाली को फोडा गया और डाक्टरों ने वहाँ पहूँच कर गले के उस हिस्से का आपरेशन किया और एक नई नली जिसका सीधा संबंध फेफड़ों से रहे, ऐसा प्रबन्ध कर दिया गया ताकि श्वास का रेस्पीरेशन जारी रह सके। यह घटना करीब साढ़े चार बजे की होगी। उसके बाद हम लोग छ, सवा छ बजे तक अस्पताल में रहें। आशा और निराशा के बीच में समय गुजार रहे थे, लेकिन सात और सवा सात बजे के बीच उनको अचानक जोर से फिट आया और वही श्री कपिलदेव अग्रवाल की अन्तिम घड़ी साबित हुई। श्री कपिलदेव अग्रवाल जिस उम्र में हम लोगों के बीच से चल बसे, मैं समझता हूँ यह कभी आशा हम करके नहीं चले थे कि इस सदन के समक्ष ही उनके बारे में इस प्रकार के उद्‌गार प्रदर्शित करने का अवसर भी आयेगा।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

स्वस्थ, सदैव हंसमुख और एक होनहार युवक हमारे बीच से, अध्यक्ष महोदय, चला गया। राजस्थान को यह बड़ी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति, मैं समझता हूँ, आसान नहीं है। लेकिन उस रोज ऐसा लगता था कि कई बार भाग्य को न मानने पर भी भाग्य अपना असर कभी कभी दिखलाता है। कहते हैं कि सुई की नोक से भी मृत्यु हो सकती है, वह चीज़ आंखों देखी सामने आई और ऐसी भी स्थिति है कि जिसका कोई इलाज नहीं, पता नहीं कि क्या किया जाय, क्या नहीं। अध्यक्ष महोदय, हम उनके प्रति और उनके परिवार, जिसमें पीछे ७ बच्चे, विधवा पत्नि, बूढ़े मां-बाप हैं, उनको छोड़कर वे चले गये, उनके प्रति संवेदना प्रकट करने के सिवाय हमारे पास अब कुछ रहा ही नहीं। इस कर्तव्य को करने के लिये मैं, अध्यक्ष महोदय, यहां खड़ा हूँ और कर्तव्य के सिवाय और कुछ कर भी नहीं सकते। आप अपनी तरफ से उनके प्रति जो कुछ कहना चाहें उसके कहने के बाद में यह निवेदन करना चाहूँगा, जैसा कि मुझसे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि इतनी दु:खद घटना हुई है कि जिसका असर सब माननीय सदस्यों के दिल और दिमाग पर है; आगे के लिये इस प्रकार की कोई परम्परा नहीं बने, लेकिन क्योंकि यह दुर्घटना बहुत ही दिल को धक्का पहुँचाने वाली है इसलिए इस सदन को विशेषतौर से; इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने के बाद स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—सदन के नेता ने जो उद्गार श्री कपिलदेवजी के असामयिक निधन पर प्रकट किये हैं, मैं सदन के माननीय सदस्यों की ओर से और अपनी ओर से हमारी भावनाओं को इसमें सम्मिलित करता हूँ। श्री कपिलदेव इस सदन के एक सक्रिय सदस्य थे। उनके बिना, मैं समझता हूँ कि सदन की कोई भी कार्यवाही ऐसी नहीं थी जिसमें उनका अभाव नहीं खलता है। वे बड़े हंसमुख और तीखे समालोचक थे, किन्तु उनकी खूबी यह थी कि वह इतने स्पष्ट हृदय और स्पष्ट वक्ता थे कि तीव्र मतभेद हो जाने पर भी उनसे मैत्री भाव वैसे का वैसा बना रहता था।

सबसे पहले वे जयपुर की विधान सभा के सदस्य रहे और जब यह राजस्थान की विधान सभा बनी तो उसमें भी वे आये और अपने मनोहारी व्यवहारों से, अपने स्पष्ट हृदय ग्राही वाक्यों से वे सारे सदस्यों के प्रेमपात्र बन गये। पिछले साल में हम मिले थे तो किसी को भी यह स्वप्न में भी विचार नहीं आया था कि हमें ऐसे होनहार सदन के माननीय सदस्य से जुदा होना पड़ेगा और सर्वदा के लिए जुदा होना पड़ेगा। जो परिरिस्थिति माननीय नेता ने बतलाई, जिसमें कि उनका स्वर्गवास हुआ उसमें हम यही कह सकते हैं कि केवल विधाता की मर्जी ही काम आती है।

मैं आप लोगों से यह निवेदन करूंगा कि मृतात्मा की शांति के लिए एक मिनट तक खड़े रह कर भगवान से उनकी सद्गति की प्रार्थना करें और उसके बाद में जैसा कि सदन के नेता ने कहा है कि बिना किसी परम्परा को कायम किये जिन परिस्थितियों में उनकी यह दुखद मृत्यु हुई है और जैसा भाव हमारे हृदय पर पड़ा है, हम इस सदन की कार्यवाही को स्थगित करें, किन्तु यह भविष्य के लिये कोई परम्परा न रहेगी। मैं आप लोगों की ओर से और अपनी ओर से परम पिता परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूँ कि वह उनकी मृतात्मा को सद्गति प्रदान करे।

Page No.20

(एक मिनट तक सदन के सदस्य मौनावस्था में खड़े रहे)

We adjourn for tomorrow at 8.30 A. M., and the business which has been left over today will be taken tomorrow.

(इसके पश्चात् सदन की कार्यवाही ६-१८ बजे प्रातः दिनांक २२-११-५५ को ८-३० बजे, प्रातः तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक- २१ नवम्बर, १९५५।

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।